

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 586 / 2016 / हनुमानगढ़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-III नोहर, वृत्त-‘ए’, हनुमानगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मोनिका फिटिंग, नोहर, हनुमानगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 16 / 02 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय नोहर, वृत्त-ए, हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 333/आरवेट/हनुमानगढ़/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012-13 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24, 55 के तहत पारित आदेश दिनांक 04.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया था जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के टर्नओवर को रूपये 3,00,000/- बढ़ाकर उस पर किये गये करारोपण एवं आरोपित ब्याज को अविधिक मानकर अपास्त किया गया था।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2012-13 के प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसपोर्ट खर्च एवं वेतन खर्चों को नहीं दर्शाया जाना बताकर कर निर्धारण अधिकारी ने यह अंकित किया है कि व्यवसायी द्वारा जो ऑनलाईन विवरण पत्र प्रस्तुत किया है उसमें ट्रांसपोर्ट खर्च एवं मजदूरी खर्च व्यापार खाते में नहीं दर्शाये गये एवं उन खर्चों को लाभ-हानि खाते में दर्शाया है एवं व्यवसायी को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर देने पर उनके द्वारा यह बताया गया है कि वे उनके सकल लाभ में सम्मिलित हैं साथ ही कर निर्धारण अधिकारी के निर्देशानुसार संशोधित व्यापार खाता भी पेश किया जिसमें सकल लाभ में से यथायत खर्च व मजदूरी खर्च अलग बता दिये परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इस लेखा पद्धति को सही नहीं मानकर इन खर्चों को कर योग्य खरीद में से छुपाना बताया एवं इतनी राशि पर और

लगातार.....2

वृद्धि करते हुए रूपये 3,00,000/- की राशि पर कर एवं ब्याज का आरोपण कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश को अविधिक एवं अनुचित मानते हुए अतिरिक्त आरोपित कर को अपास्त कर दिया।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया आदेश विधिसम्मत है तथा उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट खर्च एवं मजदूरी खर्च प्रथम बार ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दर्शाने से उस राशि को कर योग्य मानकर जो करारोपण किया है वह उचित है। कथन किया कि धारा 2(28) के अनुसार क्रय मूल्य कम बताने से उसको बढ़ाकर उस माल का विक्रय माना जाना उचित होने से अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी लेखों को समझने में असफल रहे हैं क्योंकि व्यवहारी द्वारा जो विक्रय किया जाता है वह राशि उसके द्वारा जारी बिलों में प्रदर्शित होती है एवं कुल विक्रय किसी भी व्यवहारी का कुल विक्रय मूल्य होता है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके खर्चों को जिन्हें पहले भी कुल खरीद में सम्मिलित किया गया था एवं वे खर्च लेखाविधि अनुसार ग्रास प्रोफिट की राशि में सम्मिलित होते हैं एवं जब प्रोफिट एवं लोस का अकाउंट बनता है उसमें उनको अलग अलग दर्शाया जा सकता है। व्यवसायी द्वारा उचित रूप से माल की क्रय राशि एवं अन्य खर्चों सहित खरीद बतायी थी एवं कुल विक्रय को दर्शाया गया था तथा अंतिम स्टॉक भी बता दिया था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संदेह व्यक्त करने पर उन्हें यह बता दिया कि वे खर्च लाभ-हानि खाते में लिये गये। जिसका प्रभाव विक्रय राशि पर ना होकर लाभ हानि खाते पर होता है। अतः विक्रय राशि पर अनुचित रूप से बढ़ाकर जो करारोपण किया गया है वह अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से अपास्त किया है।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।


6. इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश किया गया है वह पूर्णतया उचित आदेश है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखा संधारण को उचित रूप से समझे बिना ग्रास प्रोफिट एवं लाभ-हानि खाते को अलग किये जाने को गलत बताते हुए करारोपण किया गया है एवं पर्चेस प्राईस में परिवर्तन को आधार बताया जोकि तथ्यात्मक रूप से ही गलत था एवं इसमें विधि का कोई

लगातार.....3

बिन्दु भी नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध ट्रेडिंग अकाउंट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा जो विक्रय बतायी गयी थी उसमें कोई अन्तर इस आधार पर नहीं किया जा सकता की खरीदी की राशि अलग हेड में दर्शा दी गई है करारोपण के लिये मूल आधार विक्रय राशि होती है। व्यवहारी द्वारा जो माल खरीद किया गया है जिसमें मजदूरी खर्च एवं ट्रांसपोर्ट खर्च लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किये गये हैं उस स्थिति में छिपाने का कोई मामला नहीं है। बल्कि उस पूरे माल की खरीद मय खर्चों के रूपये 65,11,277/- बतायी है जिसकी बिक्री रूपये 62,22,769/- बतायी गयी है एवं 10 प्रतिशत के लगभग लाभांश के साथ माल का विक्रय किया गया है जो विक्रय बिलों से संबंधित है। अतः इसमें वृद्धि किये जाने का कोई बिन्दु नहीं था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से विक्रय राशि को बढ़ाया गया है जिसको अपीलीय अधिकारी ने विधिक रूप से अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है।

7. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य